

# उपायुक्त का कार्यालय (समाज कल्याण शाखा), धनबाद ।

## --:: अल्पकालीन निविदा सूचना ::--

समाज कल्याण विभाग, धनबाद द्वारा जिलान्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं में संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों पर टेबूल की आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदा दिनांक 26/2/2013..... को आमंत्रित की जाती है । मुहरबंद निविदा 3.00.00 बजे अपराह्न तक जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, धनबाद के कार्यालय कक्ष में उपलब्ध निविदा पेटी में डाली जा सकेगी । उक्त तिथि को अपराह्न/पूर्वाह्न में 5.30 P.M. बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निविदादाता या उनके प्रतिनिधि के उपस्थिति में निविदा खोली जायेगी । सामग्रीयों की सूची एवं निविदा की शर्तें समाज कल्याण शाखा, धनबाद से कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है या बेवसाईट dhanbad.nic.in पर देखा जा सकता है ।

आपूर्ति किए जाने वाले सामग्री की विवरणी निम्नवत् है :-

क्रमांक	सामग्री	विशिष्टता
1.	टेबुल प्लास्टिक का (लम्बाई 3 फिट, चौड़ाई 2 फिट एवं ऊंचाई 2.5 फिट)	(सुप्रीम ब्रान्ड)

### निविदा की शर्तें :-

- निविदादाताओं के तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग दो मुहरबंद लिफाफे में देना अनिवार्य होगा ।
- निविदा के साथ मुहरबंद लिफाफे में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, धनबाद के पदनाम से कुल 30,000/- (तीस हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट अथवा NSC के रूप में जमा करना होगा ।  
तकनीकी लिफाफा के अन्दर :-
  - अग्रधन में 30,000/- (तीस हजार रुपये मात्र) ।
  - बिक्रीकर विभाग द्वारा दुकान निबंधन का प्रमाण पत्र की छाया प्रति ।
  - बिक्रीकर विभाग द्वारा निर्गत स्वच्छता प्रमाण पत्र की छाया प्रति ।
  - पैन कार्ड की छाया प्रति ।
  - आयकर विभाग में जमा किये 2011-12 टैक्स की छाया प्रति ।
- सभी सामग्रीयों की दर बिक्री कर तथा आयकर सहित देनी होगी । स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगा । आयकर एवं बिक्री कर की कटौती भुगतान के श्रोत पर एक मुश्त की जायेगी ।
- निविदादाताओं को आवश्यकतानुसार सामग्रीयों का नमूना निविदा के दिन ही समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।
- चयनित गुणवत्ता के अनुरूप सामग्रीयों की आपूर्ति जिले के सम्बन्धित बाल विकास परियोजना कार्यालयों में करनी होगी, जिसके लिए अलग से परिवहन व्यय या कोई शुल्क देय नहीं होगा ।
- परियोजनाओं से दिये जाने वाले नमूने के अनुरूप विभिन्न पंजियों यथा टीकाकरण पंजी, निरीक्षण पंजी आदि का मुद्रण कराकर आपूर्ति करना होगा ।
- एक सामग्री का एक ही दर देना होगा । एक से अधिक दर देने पर मूल्य निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।
- अनुमोदित दर एक वर्ष तक मान्य होगी ।
- कार्यादेश मिलने पर सामग्रीयों की आपूर्ति एक पक्ष के अंदर सम्बन्धित परियोजनाओं में करनी होगी ।
- निविदा को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा ।

  
05/02/13  
उपायुक्त,  
धनबाद ।